



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228503
CG-DL-E-27072021-228503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943

No. 301]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

संदर्भ: HQ-PUB017/1/2020-PUB-BIS (196).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में संदर्भ: HQ-PUB017/1/2020-PUB-BIS दिनांक 2 जून 2021 के भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में 4 जून, 2021 में प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है:

निम्नलिखित को हटा दें और आगामी क्रम संख्या को 1 और 2 अंकित करें।

क्रम सं.	निरस्त किये गये भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	निरस्त होने की तिथि
(1)	(2)	(3)
1	आई एस 3976 : 2018 खनिकों के लिए रबर केनवस के सुरक्षा जूते – विशिष्टि (छठा पुनरीक्षण)	20 नवम्बर 2020

जे राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

[विज्ञापन III/4/असा./166/2021-22]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 1st July, 2021

Ref: HQ-PUB017/1/2020-PUB-BIS (196).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 4 June 2021 in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary vide Ref: HQ-PUB017/1/2020 (167) dated 2 June 2021 in pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018:

Delete the following and renumber the subsequent Sl No as 1 and 2.

Sl. No	No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)
1	IS 3976 : 2018 Safety Rubber Canvas Boots for Miner (Sixth Revision)	20 Nov 2020

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization – P & M)

[ADVT.-III/4/Exty./166/2021-22]